न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह चौहान आर0ए0एस

मुकदमा नं0 44/2023

1. गलकूदेवी पत्नि कजोडमल
2. महेन्द्र पुत्र कजोडमल
3. महेश पुत्र कजोडमल
4. राजेन्द्र पुत्र कजोडमल

समस्त जाति बलाई निवासी गुढा कुमावतान तह0 जोबनेर जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियेः—तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0
2. राजू पुत्र हीरा जाति बलाई नि0 भैसावा तह0 जोबनेर जि0 जयपुर।
3. तीजादेवी पुत्री बुद्धा
4. बरदी देवी पत्नि बुद्धा
5. रमेश पुत्र बुधाराम
6. रामप्रसाद पुत्र बुधाराम

समस्त जाति बलाई निवासी गुढा कुमावतान तह0 जोबनेर जिला जयपुर।

7. रामरतन पुत्र बुधाराम फोत जरिये कायममुकामानः—

7/1 कानी पत्नि रामरतन

7/2 प्रियंका पुत्री रामरतन

7/3 राहुल पुत्र रामरतन

8. सुरेश पुत्र बुधाराम

समस्त जाति बलाई निवासी गुढा कुमावतान तह0 जोबनेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थित :— 1. सुश्री तब्बस्सुम रंगरेज वकील प्रार्थीगण

दिनांक :— 11/06/2025

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं03ल08 के बूजुर्ग लालाराम, बुधाराम, छीतर, कजोडमल पि0 जोधाराम ने अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नं. 125 रकबा 4 बिघा 6 विस्वा बा02 वाके ग्राम गुढा कुमावतान तह0 जोबनेर मे से 15 विस्वा कृषि भूमि जरिये विक्रय विलेख दिनांक 12/10/1995 के

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

द्वारा अप्रार्थी सं02 को विक्रय कि थी जिसका विक्रय विलेख उप पंजियक अधिकारी महोदय सांभर लेक के यहा दिनांक 12.10.1995 को पुस्तक सं01 जिल्द सं0 155 मे पृष्ठ कम सं0940 पर पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पृष्ठ सं01 जिल्द सं0 121 के पृष्ठ सं0 110 से 112 पर चस्पा किया गया जिसके आधार पर नामान्तरकरण सख्या 162 दिनांक 14.11.1995 खोला जाकर अप्रार्थी सं02 के नाम राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया गया।

उक्त आराजी मे से अप्रार्थी सं02 के द्वारा 15 विस्वा कृर्षि भूमि खरीदने के पश्चात पक्षकारान के मध्य विभाजन हो गया ओर विभाजन से प्रार्थी व अप्रार्थी सं03 लगा08 के कब्जे काश्त व खातेदारी कि आराजीयात के ख0न0 125/1 रकबा 3 बिघा 11 विस्वा वर्तमान रकबा 0.8978 है0 अंकित हो गये के आधार पर पटवारी हल्का को नक्शा लढ़ा मे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं03 लगा08 कि कृर्षि भूमि आराजी ख0न0 125/1 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा वर्तमान रकबा 0.8978 है0 अंकित करना चाहिये था तथा अप्रार्थी सं02 कि कृषि भूमि आराजी ख0न0 125/2 रकबा 15 बिस्वा वर्तमान रकबा 0.1897 है0 ओर विभाजन के पश्चात प्रार्थीगण के बूजुर्गो के स्वर्गवास के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा जहा अप्रार्थी सं02 आराजी ख0न0 125/2 रकबा 0. 1897 है0 कि तरमीम उतर पूर्व कि तरफ जहा काबिज है कि करनी चाहिये थी किन्तु पटवारी हल्का ने सहवन से दक्षिण पूर्वी भुजा कि तरफ जहा प्रार्थी व अप्रार्थी सं03 ल08 ख0न0 125/1 रकबा 0.8978 है0 पर काबिज है एवं मकानात आदि बने हुये है कि तरमीम कर दी जिसकी जानकारी आवेदकगण को होने पर आवेदकगण ने प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांवो के संग अभियान मे आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर उक्त दुरूस्ती बाबत पटवारी हल्का बोबास को लिखा था जिस पर पटवारी हल्का बोबास ने दिनांक 16.3.2023 को तहसीलदार जोबनेर के आदेश क्रमांक ऐन आर 23/1235 दिनांक 16.3.2023 की पालना मे मौके पर जाकर मोका रिपोर्ट बनाई।

प्रार्थी आराजी ख0न0 125/1 रकबा 3 बिघा 11 विस्वा वर्तमान रकबा 0.8978 है0 के दक्षिण पूर्वी की तरफ काबिज है एवं पुख्ता मकानात बने हुये है पर काबिज है तथा अप्रार्थी सं02 आ0ख0न0 125/2 रकबा 0.1897 है0 उत्तर पूर्व कि तरफ काबिज है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक पटवारी मौका रिपोर्ट के आवेदकगण कि आराजीयात ख0न0 125/1 रकबा 0.8978 है0 कि नक्शा लढ़ा मे तरमीम दक्षिण पूर्वी की तरफ जहा आवेदकगण के मकानात बने हुये है एवं काबिज है एवं अप्रार्थी सं02 कि आराजीयात ख0न0 125/2 रकबा 0.1897 है0 वाके ग्राम गुढा कुमावतान की सेग्रीगेशन के समय उक्त आराजी 125/1 व 125/2 की तरमीम गलत जगह पर कर दी गई है कि दुरूस्ती कि जाकर नक्शा लढ़ा मे तरमीम उतरी

dsc
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

पूर्वी की तरफ पटवारी हल्का कि मौका रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी सं02 काबिज है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3, 4 लगा0 8 के विरूद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 2 की तलबी जरिए अखबार साया की गयी। अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश कि गयी कि आराजी खसरा नंबर 125/1 रकबा 0.8978 हे0 वाकै ग्राम गुढाकुमावतान खातेदार ग्लकुदेवी पत्नि कजोडमल जाति बलाई सा0 देह वगै0 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नंबर 125/2 रकबा 0.1897 हे0 खातेदार राजू पुत्र हीरा जाति बलाई सा0 भैंसावा के नाम दर्ज रिकार्ड है। आराजी ख0नं0 125/1 के उत्तरी कोने मे राजू पुत्र हीरा कब्जा काश्त है तथा ख0नं0 125/2 में ग्लकुदेवी पत्नि कजोडमल वगै0 ने पक्का मकान तथा पॉली हाउस बना रखा है। आराजी खसरा नं0 125/1 व 125/2 वाकै ग्राम गुढा कुमावत का मौके व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया की उक्त खसरा नम्बरान के खातेदार परस्पर मौके पर एक–दूसरे की खातेदारी भूमि पर काबीज है। जिनमे से खातेदार गलकुदेवी पत्नि कजोडमल वगै0 द्वारा खसरा नं0 125/2 मे पक्के मकान व पॉली हाउस बनाया हुआ है तथा खातेदार राजू पुत्र हीरा द्वारा खसरा नं0 125/1 पर किसी प्रकार का पक्का निर्माण नही किया हुआ है।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नक्शा दुरूस्ती के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया। हमने बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि आराजी ख0नं0 125/1 के उत्तरी कोने मे राजू पुत्र हीरा कब्जा काश्त है तथा ख0नं0 125/2 में ग्लकुदेवी पत्नि कजोडमल वगै0 ने पक्का मकान तथा पॉली हाउस बना रखा है। आराजी खसरा नं0 125/1 व 125/2 वाकै ग्राम गुढा कुमावत का मौके व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया की उक्त खसरा नम्बरान के खातेदार परस्पर मौके पर एक–दूसरे की खातेदारी भूमि पर काबिज है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आवलोकन से यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा नं0 125/1 व 125/2 वाकै ग्राम गुढा कुमावत की तरमीम मौके कि स्थिति के विपरीत दर्ज है, जिसे शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

dSc
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जोबनेर को निर्देशित किया जाता है कि खसरा नंबर 125/1 रकबा 0.8978 हे0 तथा खसरा नंबर 125/2 रकबा 0.1897 हे0 की नक्शा तरमीम मौके पर काबिज–काश्त के अनुसार संशोधित कर दुरूस्त किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व नक्शे में संशोधन किया जाकर दुरूस्त किया जावे। शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 11/06/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर, जिला जयपुर

देवेन्द्र सिंह चौहान
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर